(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
प्रार्थना पत्र 6ए : 38/2023 (15/10/2023)
तारीख रजू : 22.09.2023 (27.07.2023)

उनवान

1. सरकार जरिये विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी, बहरोड–नीमराणा, जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।

– प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. अजय कुमार पुत्र जयवीर जाति ठाकुर निवासी हसनपुरा थाना शीतलपुर, जिला एटा, उतरप्रदेश।

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत क्षमता 14.2 किग्रा के 110 (एक सौ दस) एलपीजी सिलेण्डर्स व एक वाहन स. एचआर–55–एन–2107 को राजसात करने बाबत ।

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार रसद, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 03.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में में विनोद जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी, बहरोड–नीमराणा बहमराह श्री महेश शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी अलवर के दिनाक 05.02.2014 को समय प्रातः 8:00 बजे पुलिस थाना नीमराणा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध परिवहन व भण्डारण किए जाने पर सिलेण्डर पकडने की सूचना मिलने पर जांच हेतु मौके पर पुलिस थाना नीमराणा पहुंचे। पुलिस थाना नीमराणा के एस.एच.ओ ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एस. एच.ओ नीमराणा द्वारा दी गई तहरीर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नीमराणा में खड़ी गाडी संख्या एचआर–55–एन–2107 में रखे हुए 110 घरेलू गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) उपस्थित गवाहों श्री सतीश शर्मा, श्री अमर सिंह यादव एव वाहन के चालक अजय कुमार पुत्र जयवीर जाति ठाकुर निवासी हसनपुर थाना शीतलपुर जिला एटा, उत्तरप्रदेश पुलिस थाना नीमराणा (राज०) के समक्ष की गई। मौके पर अजय कुमार पुत्र जयवीर जाति ठाकुर निवासी हसनपुर थाना शीतलपुर जिला एटा. उत्तरप्रदेश पुलिस थाना नीमराणा (राज०) में गैस सिलेण्डरों से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। श्री अजय कुमार पुत्र जयवीर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से परिवहन करने व भण्डारण करना संदेह की श्रेणी में आता है. जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उक्त भरे हुए 110 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को मौके पर जब्त किया गया तथा ज्वलनशील होने के कारण बहरोड इंडेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री केदार शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया तथा वाहन स एचआर–55–एन–2107 को जप्त कर थाना नीमराणा के भारसाधक अधिकारी एस.एच.ओ थाना नीमराणा को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 110 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस तथा एक वाहन सं एचआर–55–एन–2107 को साजसात करने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। विभागीय पैरोकार ने जप्त क्षमता 14.2 किग्रा के 110 (एक सौ दस) एलपीजी सिलेण्डर्स को धारा–6 ए के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।
3. बहस एक पक्षीय विभागीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जांचदल द्वारा मौके पर भरे हुए 110 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को जब्त किया गया तथा ज्वलनशील होने के कारण बहरोड इंडेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री केदार शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया तथा वाहन स एचआर–55–एन–2107 को जप्त कर थाना नीमराणा के भारसाधक अधिकारी एस.एच.ओ थाना नीमराणा को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 110 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस तथा एक वाहन सं एचआर–55–एन–2107 को राजसात करने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त भरे हुए 110 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।
5. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जप्ती दिनांक 05.02.2014 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन करने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत क्षमता 14.2 किग्रा के 110 (एक सौ दस) एलपीजी सिलेण्डर्स आदेश 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः 14.2 किग्रा के 110 (एक सौ दस) एलपीजी सिलेण्डर्स को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जप्त 14.2 किग्रा के 110 (एक सौ दस) एलपीजी सिलेण्डर्स को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्त 14.2 किग्रा के 110 (एक सौ दस) एलपीजी सिलेण्डर्स का निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़